संख्या–3729 / 9–आ–4–1999

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ / मंसूरी–देहरादून ।
4. **मुख्य नगर अधिकारी,**
   समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. **अधिशासी अधिकारी,**
   समस्त नगर पालिका परिषद / पंचायत,
   उत्तर प्रदेश।
6. **मुख्य अधिशासी अधिकारी,**
   समस्त जिला पंचायत,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग –4 लखनऊ : दिनाँक 6 जनवरी, 2000

विषय :स्थानीय निकायों द्वारा उनके प्रबन्धाधीन नजूल भूमि के दुरूपयोग रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–3632 / 9–आ–4–92–293 एन / 90, दिनाँक 2 दिसम्बर, 1992 के प्रस्तर–2(2), जिसमें नजूल भूमि / सम्पत्ति नगर पालिका अथवा नगर महापालिकाओं द्वारा किराये या अस्थाई पट्टे पर दिये जाने की प्रथा को समाप्त करने तथा किराये अथवा अस्थाई पट्टे पर दी हुई सम्पत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी थी :–

''नजूल भूमि / सम्पत्ति को नगर पालिकाओं अथवा नगर महापालिकाओं द्वारा किराये या अस्थाई पट्टे पर दिये जाने की प्रथा को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है। ऐसी सम्पत्ति / भूमि जो पूर्व में नगरपालिकाओं / नगर महापालिकाओं द्वारा किराये अथवा अस्थाई पट्टे पर दी हुई है (जिनका कोई पट्टा–विलेख नहीं हुआ है) को निर्धारित दरों के अनुसार अनिवार्य रूप से फ्री–होल्ड कर दिया जायेगा। फ्री–होल्ड पर प्राप्त करने का पहला अधिकार उन लोगों को होगा जिनके पक्ष में भूमि किराये पर दी गयी है यदि वे सहमत नहीं होते तो उन्हें बेदखल करके भूमि का निस्तारण नीति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।'' परन्तु फिर भी इस प्रकार के दृष्टांत सामने आये हैं कि इन निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है तथा ''ब्रीच आफ ट्रस्ट'' की श्रेणी में आती है क्योंकि भूमि शासन की सम्पत्ति है तथा स्थानीय निकायों को केवल प्रबन्धन के लिये दी गयी है। उसे बिना शासन की अनुमति के निस्तारित अथवा अन्यथा खुर्द–बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

इस गंभीर स्थिति के दृष्टिगत शासन द्वारा अपेक्षा की जाती है कि सभी सम्बन्धित स्थाई निकायों को उनके मुख्य अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाय कि नजूल भूमि के सम्बन्ध में बिना शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के पट्टे या किरायेदारी या अन्य किसी भी प्रकार का निस्तारण स्थानीय निकायों द्वारा किया जाना पूरी तरह प्रतिबन्धित है। यदि नजूल भूमि के विषय में स्थानीय निकाय द्वारा कोई कार्यवाही आदेशों के उल्लंघन में की जाती है तो यह मुख्य अधिशासी अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा तथा उनके विरुद्ध ''ब्रीच आफ ट्रस्ट'' का आपराधिक कृत्य मानते हुए दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। समस्त अधिकारी सभी सम्बन्धित स्थानीय निकायों के मुख्य अधिशासी अधिकारी से निर्देशों के संज्ञान की पुष्टि करा लें तथा भविष्य में कोई भी अवहेलना प्रकाश में आने पर उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव।

संख्या–3729(1)/9–आ–4–99 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास विभाग तथा सचिव, पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से पृष्ठांकित है कि वे कृपया इस सम्बन्ध में अपने स्तर से भी समस्त स्थानीय निकायों को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समुचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव।